| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | 25/3/15 प्रकरण पत्रावली उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य होने से प्रकरण दि0 14/5/15 को पेश है। | |
| 25/6/15 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अभियान मु. रावलियाकलां में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित परन्तु राजीनामा हेतु तैयार नहीं होने से प्रकरण कैम्प कोर्ट में लिया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का कथन है कि मौजा रावलियाकलां पटवार-I की जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 478 में वर्णित आराजियात किता 86 कुल रकबा 4.0350 हे. भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मेवाड़ बन्दोबस्त की जमाबंदी में भी वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के मूल पुरुष ~~खेमा~~ केशा पिता खेमा के नाम पर दर्ज थी। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण के नाम अलग खाता दर्ज होकर उनके खाते भूमि दर्ज है वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद पेश किया है परन्तु मौखिक कथन के अलावा ऐसा कोई पुख्ता सबूत या सबूत पेश नहीं की जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा हो। वादीगण के नाम पर खाता संख्या 274 में वर्णित आराजियात पूर्व | द. नन्दा<br>द. माना<br>द. मोती<br>कालु |

से भी हर्ज है उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने से ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है पत्रावली नियमित होकर संख्या से हटा हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा … उदयपुर